



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237175
CG-DL-E-07072022-237175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2969]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944

No. 2969]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

का.आ. 3119(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, सब डिविजनल आफिस, शिर्डी, तल.रहता (NH752G) के कि.मी 354 से 362.663 महाराष्ट्र राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH752G पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब डिविजनल आफिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH752G के कि.मी. 354 से 362.663 तक	महाराष्ट्र	अहमदनगर	कोपरगाव	1 कोपरगाव (र) 2 कोकामथान 3 जेऊर कुम्भरी
					राहता	1 सावळीविहीर बुद्रुक

[फा. सं. NH-12014/65/2021-22-MAH(Z-4)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2022

S.O. 3119(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 354 to 362.663 of Sub Divisional Office, Shirdi, Tal.Rahata (NH752G) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH752G in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Officer	354KM To 362.663KM	MAHARASHTRA	AHMEDNAGAR	Kopargaon	1 Kopargaon (R) 2 Kokamthan 3 Jeur Kumbhari
					Rahata	1 Sawlivihir Budruk

[F. No NH-12014/65/2021-22-MAH(Z-4)]

RAJESH GUPTA, Director